निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3 दिनांक 19-06-2021, पत्र संख्या 1898/2021-सीएस-3 दिनांक 27.09.2021 व पत्र सं0 2141/2021 - सीएक्स-3 दिनांक: 24.12.2021 व पत्र संख्या 15/2022-सीएक्स-3 दिनांक 04.01.2022 व पत्र संख्या 70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10-01-2022 व पत्र संख्या एन-44/2022-सीएक्स-2 दिनांक 23-01-2022 व पत्र संख्या 237/2022- सीएक्स-3 दिनांक 11-02-2022 व पत्र संख्या 290/2022-सीएक्स-3 दिनांक 19-02-2022 व पत्र संख्या 458/2022- सीएक्स-3 दिनांक 17-03-2022 व पत्र संख्या 625/2022-सीएक्स-3 दिनांक: 18-04-2022 के क्रम में विस्तृत आदेश पारित किये गये है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में विगत दिनो से चल रहे श्रमिकों के आन्दोलन के कारण जनपद की कानून–व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुई, जिसकी पुनर्स्थापना के लिये स्थानीय प्रशासन व औद्योगिक इकाईयों के प्रबंध समितियों द्वारा श्रमिको के साथ वार्ता कर स्थिति को सामान्य किये जाने का सतत प्रयास किया जा रहा है तथा सैक्टर स्कीम प्रभावी की गयी है,परन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति–व्यवस्था को भंग किये जाने की आंशका से इन्कार नही किया जा सकता है। अनेक किसान व श्रमिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों व उनके आनुषांगिक संगठनों द्वारा भी अवसर की संवेदनशीलता का उपयोग अपने हित में करने की सम्भावना अत्यन्त बलवती है। उनके द्वारा सुधर रही जनपद गौतमबुद्धनगर की कानून–व्यवस्था को पुनः विपरीत रूप से प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है और पुनः श्रमिकों को हिंसक प्रदर्शन करने हेतु दुष्प्रेरित करने की सम्भावना है, जिससे शांतिभंग होना अतिसम्भाव्य है।

निकटवर्ती भूतकाल में विभिन्न श्रमिक एवं अन्य संगठनों तथा राजनीतिक दलों एवं उनके आनुषांगिक संगठनों द्वारा समय–समय पर आन्दोलन किये गये है और हाल ही में निकटवर्ती राज्यों में उग्र प्रदर्शन किये गये है। जनपद गौतमबुद्धनगर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सीमावर्ती होने के कारण अति संवेदनशील है। अन्य राज्यों में विभिन्न श्रमिक संगठनों व कथित राजनीतिक संगठनों द्वारा किये गये आन्दोलन से दुष्प्रेरित होकर नोएडा में भी कई जगह धरना/हिंसक प्रदर्शन किये गये। जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न किसानों, श्रमिकों व अन्य संगठनों तथा राजनीतिक दलों एवं उनके आनुषांगिक संगठनों द्वारा अल्पसमय में भिन्न–भिन्न मुददों को लेकर धरना/हिंसक प्रदर्शन एवं आन्दोलन के दौरान कानून एवं व्यवस्था को अक्षुण बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता–2023 की धारा–163 के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की सम्पूर्ण सीमा में निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है।

उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन/विभिन्न आयोग/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं राजकीय कार्यक्रम भी आयोजित कराये जाते है, जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न करानें हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है। उक्त समस्त कारणों से जनपद गौतमबुद्धनगर में शांति–व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उदेश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। वर्तमान स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नही है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

उक्त के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा शांति–व्यवस्था को भंग किये जाने की आंशका से इन्कार नही किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन/विभिन्न आयोग/परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं राजकीय कार्यकम भी आयोजित कराये जाते है, जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है, जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं, शैव्या गोयल, अपर पुलिस उपायुक्त,कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिनांक 30-04-2026 से दिनांक 08.05.2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के निम्नलिखित आदेश जारी करती हूँ-

1- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

2- **सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक कि०मी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।**

3- किसी भी संगठन या समूह द्वारा वर्तमान संवेदनशील स्थिति में किसी भी अनुचित मांग के संबंध में कोई मांगपत्र बिना अनुमति के प्रस्तुत नही करेगा।

4- किसी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल / जूलुसों/ अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या: 24381/2017 मोतीलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश, दिनांक 20-12-2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यशासंशोधित प्रावधानों के क्रम में रात्रि 10:00 से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ गृह विभाग उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।** अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त /अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। **मंदिर /मस्जिद गुरुद्वारा/ चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।**

5- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रो से 100 मीटर की परिधि के अन्दर 5 या 5 व्यक्तिंयों से अधिक की भीड न तो एकत्रित करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए उसका सहयोग करेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस पास बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और कोई भी दुकानदार / डीलर इस यंत्र किसी को तब तक किराये पर नहीं उपलब्ध करायेगा, जब तक कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रशासन से अनुमति न प्राप्त कर ली हो। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर बिना अनुमति के मोबाईल फोन, पेजर, कैलकुलेटर अथवा आधुनिक विधि के उपकरण नही ले जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा दिवस के एक

6- कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।

7- **सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।**

8- कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। **धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।**

9- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो /जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।

10- कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शरण जैसे तलवार, बर्छी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाईसेंसी अग्नेयास्त्र सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

11- शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/ हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।

12- कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो / वीडियो कैसेट एवं सी०डी० को न तो बेचेगा और न बजायेगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो।

13- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।

14- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम/ स्वास्थ्य विभाग/ सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।

15- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा बाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो **उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 30 अप्रैल, 2026 से 08 मई, 2026 तक (09 दिवस) प्रभावी रहेगी**। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस अवधि में निर्गत आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के सम्बन्धित बिन्दु स्वतः संशोधित माने जाएंगे। इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

इस आदेश का प्रचार गौतमबुद्धनगर के सभी अपर पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त गण के न्यायालय के नोटिस बोर्ड, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाडियो द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जाएगा।

पत्र संख्याः एडी0 डीसीपी-एल0ओ0-02/2026

दिनांकः अप्रैल 29, 2026